



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 442 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2011—आश्विन 6, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-14-2009-2-पांच-(27).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, किसी जलाशय से मछली पकड़ने के लिये किसी मछुआरे या मछुआरों के पक्ष में किसी ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-14-2009-2-पांच-(27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का आदेश क्रमांक बी-4-14-2009-2-पांच-(27) दिनांक 28 सितम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th September 2011

No. F-B-4-14-2009-2-V-(27).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 11 of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on the deed of lease executed by a Gram Panchayat in favour of a fisherman or fishermen to catch fishes from a reservoir.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.  
R. K. YADAV, Addl. Secy.